रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216103
CG-DL-E-12022020-216103

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941
No. 90] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 108(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध (संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयुध नियम 2016 में,-

(i) नियम 2 के उपनियम (3) में, "1899 से पूर्व विनिर्मित अग्नायुध" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "ऐसा अग्नायुध अभिप्रेत है जो कम से कम सौ वर्षों से अस्तित्व में है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 10 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) "(6) कलाकृति के प्रवर्ग के अधीन आने वाले लघु आयुध, स्वामी द्वारा सुरक्षित ढंग से और अन्य व्यक्तियोँ की पहुंच से दूर रखे जाएंगे । ऐसे लघु आयुध विहित अनुज्ञप्ति के बिना उपयोग, वहन या परिवहन नहीं किए जाएंगे।"

(ख) "(7) कलाकृति के प्रवर्ग के अधीन आने वाले लघु आयुधों के अर्जन, कब्जे हेतु भारतीय नागरिकों के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है। तथापि, यथाविहित समुचित अनुज्ञप्ति ऐसे लघु आयुधों के उपयोग या वहन या परिवहन के लिए अपेक्षित होगी । स्वामी की विहित अनुज्ञप्ति में ऐसे आयुधोँ के पृष्ठांकन के बिना उनके उपयोग हेतु कोई गोला बारूद विक्रय नहीं किया जाएगा ।"

(iii) नियम 15 के उपनियम (4) के परंतुक, "परंतु यह और कि प्ररूप 2, प्ररूप 3 और प्ररूप 4 में प्रत्येक अनुज्ञप्ति की दशा में और किसी एकल विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन तीन अग्नायुधों की किसी समग्र सीमा के साथ अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के निर्बंधित या अनुज्ञेय प्ररूप के लिए प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति की दशा में पृथक अनुज्ञप्ति पुस्तिका सृजित करेगा।", के स्थान पर परंतुक, "परंतु यह और कि प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 3क और प्ररूप 4 में प्रत्येक अनुज्ञप्ति की दशा में और किसी एकल विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन दो अग्नायुधों की समग्र सीमा के साथ अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के निर्बंधित या अनुज्ञेय उपयोग के लिए प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति की दशा में या तो पुस्तिका के रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में पृथक अनुज्ञप्ति जारी करेगा ।", रखा जाएगा ।

(iv) नियम 18 में, "तीन अग्नायुधों की समग्र सीमा", शब्दों के स्थान पर "दो अग्नायुधों की समग्र सीमा" शब्द रखे जाएंगे;

(v) नियम 25 में,-

(क) उपनियम (1)(ख) में-

(i) परंतुक में "नहीं हैं" शब्दों के स्थान पर "नहीं हैं:" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि उत्तराधिकार के आधार पर या कुलागत आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय अग्नायुधों की सीमा दो से अधिक नहीं होगी।";

(ख) उपनियम (3) के अधीन स्पष्टीकरण में, "मृत अनुज्ञप्तिधारी का" शब्दों के पश्चात् "पिता, माता," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(vi) नियम 26 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**26. कतिपय अनुज्ञप्तियों का प्ररूप**–एनडीएएल प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारी के यू आई एन के अधीन सृजित प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 3क, प्ररूप 4, या प्ररूप 5 की अनुज्ञप्ति पुस्तक रूप में होगी, जिसे क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा या इलैक्ट्रानिक रूप में होगी और वह नियमों में विनिर्दिष्ट प्रारूपों का कड़ाई से पालन करेगी और व्यष्टिक की दशा में उसमें अनुज्ञप्तिधारी का नवीनतम फोटो भी अंतर्विष्ट होगा:

परंतु अग्नायुधों के निर्बंधित वर्ग के लिए अनुज्ञप्ति पुस्तक गाढ़े भूरे रंग की होगी और अग्नायुधों के अनुज्ञेय वर्ग के लिए उसका रंग गहरा नीला होगा:

परंतु यह और कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी पुस्तक प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट फीस उद्ग्रहीत कर सकेगा, या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी स्थानीय या विशेष आदेश द्वारा यथा अधिसूचित ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, इलैक्ट्रानिक रूप में अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा, जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति के ऐसे इलैक्ट्रानिक रूप के लिए फीस का उद्ग्रहण भी होगा।"

IndiaCode

(vii) नियम 40 के उपनियम (1) में, सारणी के क्रम संख्यांक 5 के सामने प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

5.	"अन्य शूटर (जो ऊपर क्र. सं. 1 से 4 के अधीन नहीं आते हैं) जो विधिमान्य आयुध अनुज्ञप्तियां रखते हैं और जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से संबद्ध राष्ट्रीय राइफल संघ या शूटिंग क्लब/ राष्ट्रीय राइफल संघ से संबद्ध जिला राइफल संघ के सदस्य भी हैं।	.22 एल आर राइफल / पिस्टल	500	5000
		किसी अन्य कैलीबर का कोई अन्य पिस्टल/ रिवाल्वर	300	2000
		शाटगन कैलीबर	250	5000
		कोई अन्य राइफल	200	500"

[फा. सं. वी-11026/133/2019-आयुध]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) तारीख 15 जुलाई, 2016 में सा.का.नि. संख्यांक 701(अ), तारीख 15 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और सा.का.नि. संख्यांक 11(अ), तारीख 3 जनवरी, 2020 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2020

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by section 44of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 2016, namely :—

1. (1) These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Arms Rules, 2016, -

(i) in rule 2, in sub-rule (3), for the words and figures "firearms manufactured before 1899", the words "firearm which has been in existence for not less than one hundred years;" shall be substituted;

(ii) in rule 10, after sub-rule(5), following sub-rules shall be inserted, namely:-

(a) "(6) Small arms falling under the category of curio shall be kept securely and out of reach of other persons by the owner. Such small arms shall not be used, carried or transported without the prescribed licence."

(b) "(7) No licence is required for Indian citizens for acquisition, possession of small arms falling under the category of curio. However, appropriate licence as prescribed would be required for use or to carry or transport such small arms. Without the endorsement of such firearms in the prescribed licence of the owner, no ammunition shall be sold for their use."

(iii) in rule 15, in sub-rule (4), for the proviso "Provided further that separate licence books shall be generated in case of each licence in Form II, Form III and Form IV and in case of a licence in Form III, separately for restricted and permissible categories of arms and ammunition specified in Schedule I, with an overall

ceiling of three firearms under a single UIN", the proviso "Provided further that separate licence either in book form or in electronic form shall be generated in case of each licence in Form II, Form III, Form IIIA and Form IV and in case of a licence in Form III, separately for restricted and permissible categories of arms and ammunition specified in Schedule I, with an overall ceiling of two firearms under a single UIN" shall be substituted.

(iv) in rule 18, for the words "overall limit of three firearms", the words "overall limit of two firearms" shall be substituted;

(v) in rule 25, -

(a) in sub-rule (1)(b) –

(i) in the proviso, for the words "police report." the words "police report:" shall be substituted;

(ii) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that while granting arms licence on inheritance or heirloom basis, the limit of two firearms shall not be exceeded." ;

(b) in sub-rule (3), under Explanation, for the word "includes", the words "includes father, mother," shall be substituted.

(vi) for rule 26, the following rule shall be substituted, namely:-

"**26. Form of certain licences.**—A licence in Form II, Form III, Form IIIA, Form IV or Form V generated under the UIN of the licensee in NDAL system, shall either be in book form serially numbered or in electronic form and strictly as per the formats specified in the rules and in case of individuals, shall contain the latest photograph of the licensee:

Provided that the licence in book form for restricted category of firearms shall be of dark maroon colour and for permissible category of firearms shall be of navy blue colour:

Provided further that the licensing authority may levy fee as specified in Schedule IV for providing licence in book form, or issue the licence in electronic form containing details as notified by a local or special order issued by the Central Government including levy of the fee for such electronic form of licence.";

(vii) in rule 40, in sub-rule (1), for the entries against serial number 5 of the Table, the following entries shall be substituted, namely:-

5.	"Other shooters (not falling under Sl. No. 1 to 4 above) holding valid arms licences and who are also members of National Rifle Association of India or affiliated State Rifle Association(s) of NRAI or shooting clubs/District Rifle Association affiliated with State Rifle Association	.22 LR Rifle/Pistol	500	5000
		Any other Pistol/ Revolver caliber	300	2000
		Shotgun caliber	250	5000
		Any other Rifle	200	500"

[F. No. V.-11026/133/2019-Arms]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15th July, 2016 *vide* number G.S.R. 701(E) dated the 15th July, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 11(E), dated the 3rd January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.12 19:26:40 +05'30'